

# बिहार सरकार

## स्वास्थ्य विभाग

### आदेश

संचिका सं० : 15/औ०-01-02/2026 - 166(15A)/स्वा०, पटना, दिनांक- 25.03.2026

श्रीमती निशी लेतारे तोपनो, तत्कालीन औषधि निरीक्षक, बक्सर-02, सम्प्रति मधुबनी-02 के द्वारा दिनांक-20.12.2018 से 16.01.2019 तक कुल-28 (अटार्डस) दिन उपभोगित अवकाश अवधि को बिहार सेवा संहिता के नियम-230 एवं वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-499(25), दिनांक-25.03.2019 के आलोक में उपाार्जित अवकाश के रूप में स्वीकृत करते हुए विनियमित किया जाता है।

4. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

विशेष कार्य पदाधिकारी,  
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक : 15/औ०-01-02/2026...166(15A)/स्वा०, पटना, दिनांक- 25.03.2026

प्रतिलिपि : महालेखाकार(ले० एवं ह०) को बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : सचिव, स्वास्थ्य विभाग के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : राज्य औषधि नियंत्रक, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : असैनिक शल्य चिकित्सक -सह- मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, बक्सर/मधुबनी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : श्रीमती निशी लेतारे तोपनो, औषधि निरीक्षक, मधुबनी-02 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि / आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

  
विशेष कार्य पदाधिकारी,  
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।